कार्यालय– नगर पालिका परिषद भदोही, जनपद–भदोही

पत्रांक 691 /न0पा0परि0भ0/2023–24 दिनांक 31/10/ 2023

अल्पकालीन ई–निविदा सूचना

कृपया शासन से स्वीकृति के उपरान्त नगर पालिका परिषद भदोही में ''15वॉ वित्त (Tied Grant) मद'' के अन्तर्गत निम्नानुसार कार्य हेतु स्वायत्त निकाय/पब्लिक सेक्टर विभाग/राज्य सरकार/केन्द्र सरकार/अन्य सरकारी विभाग में निर्धारित श्रेणी में कार्य की लागत के सीमा के अनुरूप पंजीकृत निविदादाताओं से ई–टेण्डरिंग के माध्यम से प्रतिशत दर के आधार पर नीचे दर्शाये गये कार्य हेतु निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा की समस्त शर्ते बेबसाईट http://etender.up.nic.in पर दिनांक 28.10.2023 से दिनांक 06.11.2023 तक उपलब्ध रहेगी। निविदा के साथ अनुमानित धनराशि पर धरोहर धनराशि के रूप मे आनलाईन एफ.डी.आर/एन.एस.सी. अधिशासी अधिकारी के पक्ष में बंधक हो देना अनिवार्य होगा तथा निविदा मूल्य (कार्य के समक्ष लिखे मूल्य का निकाय निधि के एस0बी0आई0 बैंक शाखा भदोही के खाता सं0 **11193060148** जिसका आई0एफ0एस0सी0 कोड– **SBIN0001088** में जमा कर UTR नम्बर अथवा पावती पत्र सलग्न कर देय होगा) के रूप में जो शर्तो में उल्लिखित समस्त प्रमाण पत्रों की छाया प्रति सहित स्वयं प्रमाणित कर दिनांक 06.11.2023 तक E-tender आवेदन कर सकते है तद्नुपरान्त प्राप्त निविदायें उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष दिनांक 07.11.2023 को **02:00** बजे अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) भदोही के कार्यालय में खोली जायेगी। किसी कारण वश अवकाश होने पर निविदा तिथि अगला कार्य दिवस मानी जायेगी।

क0 स0	कार्य/सामग्री का नाम	अनुमानित धनराशि (लाख में) GSTसहित	धरोहर धनराशि (लाख में)	निविदा शुल्क GST सहित	कार्यावधि
15वॉ वित्त (Tied Grant) मद –					
1	रजपुरा नाला में बायोरेमिडिएशन/फाइटोरेमिडिएशन प्लान्ट के अधिष्ठापन एवं संचालन का कार्य।	32.74	0.65	3860	12 माह
2	मामदेवपुर नाला में बायोरेमिडिएशन/फाइटोरेमिडिएशन प्लान्ट के अधिष्ठापन एवं संचालन का कार्य।	30.18	0.60	3560	12 माह
3	चौरी नाला में बायोरेमिडिएशन/फाइटोरेमिडिएशन प्लान्ट के अधिष्ठापन एवं संचालन का कार्य।	20.19	0.40	2380	12 माह

निविदा हेतु शर्ते:–

1. प्रत्येक निविदा के साथ निविदा शुल्क जी0एस0टी0 सहित एवं वांछित 02 प्रतिशत धरोहर धनराशि एफडीआर/एन0एस0सी0/ट्रेजरी चलान के रूप में कूल प्रति निकाय में जमा करना अनिवार्य होगा।
2. निविदा के साथ तकनीकी बिड के अन्तर्गत वांछित प्रपत्र (i) निविदा शुल्क एवं धरोहर धनराशि जमा रसीद की प्रति (ii) चरित्र प्रमाण पत्र (iii) हैसियत प्रमाण पत्र/फर्म का टर्न ओवर 200 लाख वार्षिक (iv) आयकर प्रमाण पत्र (पेन) (v) जी0एस0टी0 प्रमाण पत्र (vi) लेबर पंजीयन प्रमाण पत्र।
3. जिलाधिकारी द्वारा निर्गत हैसियत प्रमाण पत्र 50 लाख से अधिक/बैंक सॉल्वेन्सी 50 लाख से अधिक या फर्म का टर्न ओवर 200 लाख से अधिक लगाना अनिवार्य होगा।
4. स्वीकृत आगणन दर से न्यूनतम/अधिक दर पर निविदा डालने वाले निविदादाता को न्यूनतम/अधिक दर पर कार्य/आपूर्ति करने का तकनीकी जस्टिफिकेशन साथमें संलग्न करना अनिवार्य है। अन्यथा यह समझा जायेगा कि निविदा मात्र निविदा प्रक्रिया वर्णित करने हेतु डाली गयी है। ऐसी निविदा मान्य नही होगी।
5. निविदा आवेदन के लिए बायोरेमिडिएशन और फाइटोरेमिडिएशन कार्य एवं संचालन करने का 02 वर्ष का अनुभव होना अनिवार्य होगा। पूर्ण किये गये कार्यो का दस्तावेज साक्ष्य निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।
6. निविदा आवेदन के लिए बायोरेमिडिएशन 05 एम0एल0डी0 प्रतिदिन और फाइटोरेमिडिएशन कार्य एवं संचालन करने का 15 एम0एल0डी0 का अनुभव होना अनिवार्य होगा। पूर्ण किये गये कार्यो का दस्तावेज साक्ष निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।
7. सर्शत निविदाए मान्य नही होगी और न ही किसी प्रकार का प्रत्यावेदन स्वीकार होगा।
8. किसी निविदा को बिना कोई कारण बताये स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार सक्षम अधिकारी में निहित होगा।
9. किसी भी बार काउन्सिल में पंजीकृत होने वाले किसी भी निविदादाता को निविदा प्रक्रिया में भाग लेने का अनुमति नहीं होगी।
10. अनुबन्ध जारी करने के उपरान्त 12 महिने की समयावधि तक एजेन्सी द्वारा 24 घण्टे निगरानी करानी होगी एवं ड्रेनसाइट पर सम्बन्धित प्रति दिन की गतिविधि लॉग बुक स्वयं बनाया जाना अनिवार्य होगा।
11. केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी मानक एवं विशिष्टियों के अनुसार कार्य पूर्ण करना अनिवार्य होगा। जॉच के समय UPPCB द्वारा रिपोर्ट संतोषजनक न होने की दशा में समस्त जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी एवं किसी दशा में CPCB विभाग अथवा NGT किसी प्रकार के दण्ड की पूर्ति ठेकेदार द्वारा की जायेगी।
12. प्रत्येक माह BOD, COD, TSS, PH आदि का रिपोर्ट उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जॉच कराकर स्वयं के व्यय पर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
13. संस्था का भारतीय बायो कल्चर उत्पादक के साथ MoU होना अनिवार्य होगा, साथ में प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।
14. बायो कल्चर उत्पादक के द्वारा सरकारी संस्था में कार्य करने का अनुभव होना अनिवार्य होगा।

15. निविदादाता द्वारा अपने कर्मचारियों को वर्दी एवं पी0पी0ई किट स्वयं प्रदान करना होगा।

16. फर्म/ठेकेदार द्वारा कार्य की मासिक प्रगति रिपोर्ट एवं उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा टेस्ट रिपोर्ट सत्यापित कराके पालिका अवर अभियन्ता (जल) के माध्यम से प्रति माह अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा। ऐसा न करने अथवा कार्य में विलम्ब होने पर अधोहस्ताक्षरी द्वारा विधिक कार्यवाही जैसे ठेका निरस्तीकरण/अर्थदण्ड अरोपण की कार्यवाही की जा सकती है, इसमें फर्म/ठेकेदार को कोई आपत्ति नही होगी।

17. ठेकेदार को आगणन के अनुसार कार्य करना होगा। कार्य में किसी भी प्रकार की त्रुटि/कमी पाये जाने पर निविदा निरस्त कर फर्म/ठेकेदार द्वारा जमानत धनराशि को जब्त कर सूची में डालने की कार्यवाही की जायेगी।

18. यह कि स्वीकृत कार्य के तीन चरण की फाटोग्राफी प्रथम–कार्य प्रारम्भ होने के पहले, द्वितीय–कार्य चलते समय एवं तृतीय–कार्य समाप्त होने के पश्चात स्थल का फोटोग्राफी देना अनिवार्य होगा।

19. नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एन0जी0टी0) द्वारा जारी कोई भी परिपत्र या निर्देश ठेकेदार पर लागू होगा।

20. कार्यादेश जारी होने के बाद कार्य स्थल पर कार्य कराने वाले सभी मजदूरों का श्रम विभाग में पंजीकृत कराकर नगर पालिका परिषद, भदोही में सूची प्रस्तुत करना होगा।

21. शासन/निदेशालय द्वारा दिये गये सभी निर्देशो का पालन करना अनिवार्य होगा।

22. शासन द्वारा निर्धारित मानक एवं विशिष्टियों के अनुसार कार्य गुणवत्ता पूर्वक करना होगा, जिसका सत्यापन जिलाधिकारी महोदय द्वारा गठित समिति से कराने पर कार्य संतोषजनक होने पर ही भुगतान किया जायेगा।

23. ज्वाईन्ट वेंचर लागू नही होगा।

24. ठेकेदार आपदा सम्बन्धित प्रबंधन अधिनियम 2005 के प्रावधानों का विधिवत पालन करेगा तथा कोविड–19 या किसी अन्य आपदा/महामारी के लिए राज्य सरकार द्वारा जारी किए गये दिशा निर्देशों का पालन किया जाना अनिवार्य होगा।

25. निदेशक महोदय स्थानीय निकाय द्वारा जारी किये गये शासनादेश सं0 TC314/8DLP/2020 दिनांक 01.01.2021 का नियम एवं शर्त निविदादाता द्वारा अनुपालन किया जाना अनिवार्य होगा, जो ई–निविदा के साथ संलग्न है।

26. शा0सं0 622/23–12–2012–2 आडिट/08 टी0सी0 दिनांक 08.06.2012 के अनुसार 10 प्रतिशत निम्न निविदा पर प्रति एक प्रतिशत पर 0.5 प्रति प्रतिशत तथा 10 प्रतिशत से अधिक निम्न निविदा पर प्रति एक प्रतिशत पर 01 प्रतिशत की दर पर परफ़ार्मेन्स गारंटी मनी नियमानुसार अनुबन्ध की कार्यवाही के समय संलग्न करना अनिवार्य होगा।

27. निविदा स्वीकृत होने के उपरान्त एक सप्ताह के अन्दर अर्नेस्टमनी के अतिरिक्त अवशेष 08 प्रतिशत जमानत धनराशि जमा कराते हुए अनुबन्ध पत्र की औपचारिकताओं की पूर्ति किया जाना आवश्यक होगा।

28. ई–निविदा खुलने की तिथि को किन्ही अपरिहार्य कारणों से अवकाश की स्थिति में उसके अगले कार्य दिवस में खोली जायेगी।

29. नियमानुसार जी0एस0टी0 अलग से देय होगी।

30. सर्वाधिकार नगर पालिका परिषद भदोही में सुरक्षित रहेगा तथा किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र मा0 न्यायालय भदोही होगा।

नागेश जॉ

अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद भदोही

अध्यक्ष
नगर पालिका परिषद, भदोही